डॉ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,
डॉ. अम्बेडकर नगर, (महू) म.प्र.

डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) – 453 441
फोन (07324) 272830
फैक्स (07324) 273645

क्रमांक–ब्राउस / प.विकास / 2016 / 1670 दिनांक : 21.2.19

निविदा शर्ते

1. केन्टीन का ठेका एक वर्ष के लिये दिया जायेगा।
2. ठेकेदार द्वारा केन्टीन का मासिक किराया निविदा में अधिकतम दर जो विश्वविद्यालय को मान्य हो अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दर संस्थान को प्रतिमाह अग्रिम के रूप में देना होगा। विद्युत एवं जल का शुल्क अलग से देय होगा।
3. ठेकेदार द्वारा विश्वविद्यालय में रू. 10000/– (दस हजार मात्र) सुरक्षानिधि के रूप में जमा करना होगी, जो ठेका समाप्ति पर वापस की जावेगी। इस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. एक माह की पूर्व सूचना देकर केन्टीन का ठेका निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। साथ ही यदि ठेकदार केन्टीन का ठेका निरस्त कराना चाहता है, तो वह भी एक माह की पूर्व सूचना देकर ठेका निरस्त करा सकते है।
5. केन्टीन में जो भी पदार्थ रखे जावेंगे उनकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी की हो।
6. केन्टीन में जो भी पदार्थ रखे जावेंगे उनकी दरें विश्वविद्यालय से अनुमोदित कराना होगा।
7. केन्टीन के साथ–साथ, ठेकेदार को फोटोकॉपी मशीन, सायबर सेंटर, किराना एवं जनरल स्टोर्स खोलने की अनुमति दी जायेगी।
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समयानुसार केन्टीन खोलना एवं बंद कराना होगी।
9. केन्टीन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किये गये, भवन, फर्नीचर एवं आदि को कोई क्षति नहीं पहुचायेंगे। अन्यथा उसकी भरपाई ठेकेदार को करना होगी।
10. ठेकदार एवं ठेकेदार द्वारा नियुक्त केन्टीन कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थी / कर्मचारी / विश्वविद्यालय में रह रहे परिवारों के साथ मधुर संबंध रखने होंगे तथा किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं किया जावेगा।
11. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों / निर्देशों का कडाई से पालन करना होगा।
12. यदि ठेके से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निराकरण जहां तक संभव हो सके, आपसी समझौते से किया जावेगा। अन्यथा कुलपति का निर्णय अन्तिम होकर दोनों पक्षों को मान्य होगा।
13. यदि ठेकेदार द्वारा केन्टीन में उधारी की सुविधा प्रदान की जाती है तो वह उनका स्वयं का उत्तरदायित्व होगा। विश्वविद्यालय इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
14. विश्वविद्यालय के विद्यार्थी / अधिकारी / कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर के अन्य किसी व्यक्ति को केन्टीन की सुविधा नहीं होगी।
15. केन्टीन में किसी प्रकार के नशीले / मादक पदार्थो का जैसे– शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि प्रदाय नहीं किया जावेगा।
16. केन्टीन में सिर्फ चाय, कॉफी, ठंडा पेय, नाश्ता, भोजन प्रदाय किया जावेगा। इसके अतिरिक्त यदि अन्य आवश्यकता हो तो उसके लिये पूर्वानुमति आवश्यक होगी।
17. ठेकेदार द्वारा यदि किसी संस्था में केन्टीन पूर्व में चलाई गई हो तो उसकी सूची एवं दूरभाष क्रमांक एवं शर्ते आदि निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी।

कुलसचिव

Scanned by CamScanner